राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdbed.cce@gmail.comand jdpi.cce@gmail.com Ph: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः–एफ.24(NOC 23-24)/बी.एड / आकाशि / 2023 / 732 दिनांकः–15/06/23

1. समन्वयक पीटीईटी 2023, (बी.एड. व बी.ए.बी.एड. / बी.एससी.बी.एड), गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बॉसवाड़ा।
2. समन्वयक 2023, (एम.एड, बी.एड–एम.एड., बी.पी.एड. व एम.पी.एड), कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,उदयपुर।
7. रजिस्ट्रार, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
8. रजिस्ट्रार, पं.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
9. रजिस्ट्रार, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
10. रजिस्ट्रार, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
11. रजिस्ट्रार, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
12. रजिस्ट्रार, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।

विषयः–सत्र 2023–24 के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की सम्बद्धता एवं काउन्सलिंग की आवश्यक कार्यवाही हेतु सूची भिजवाये जाने बाबत।

क्षेत्रीय समिति एनसीटीई से मान्यता एवं राज्य सरकार से स्थाई / अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त संस्थाओं की सूची संलग्न कर सम्बद्धता एवं काउन्सलिंग की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं/राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अद्योलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें:–

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2023 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
2. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीएमईटी, पीबीएमईटी, पीबीपीएड एवं पीएमपीएड 2023 के माध्यम से पीएमईटी, पीबीएमईटी, पीबीपीएड एवं पीएमपीएड परीक्षा 2023 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायगें।
3. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे।
4. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
5. योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
6. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं / राज्य विश्वविद्यालय / निजी विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन / सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेगें।
7. निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं / राज्य विश्वविद्यालय / निजी विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी।
   I. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश
   II. राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी / अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र
   III. अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
   IV. संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या
8. एनसीटीई रेग्यूलेशन 2014 में उल्लेखित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा स्थायी / अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिम क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जी–7, सेक्टर–10 द्वारका,नई दिल्ली–110075।
6. सचिव / प्राचार्य / रजिस्ट्रार, समस्त संचालित महाविद्यालय / विश्वविद्यालय
7. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
8. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.06.13 21:21:56 IST
Reason: Approved